

**न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा**  
**उत्पाद अधिहरण वाद संख्या-163/2019**  
**बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम रणधीर कुमार**

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
27/8/2019	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक 609/मद्य नि0को0, दिनांक 04.07.2019 से प्राप्त जाले थाना कांड संख्या-37/19 दिनांक 21.03.2019 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 के अन्तर्गत जब्त मोटर साईकिल पंजीयन सं0-BR30J-5786 के अवैध शराब के चौर्य व्यापार एवं परिवहन में संलिप्त पाये जाने के कारण राज्यसात् करने हेतु अनुसंशा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण-पृच्छा हेतु सूचना निर्गत की गयी।</p> <p>इसी क्रम में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 नम्बर-9312/2019 में दिनांक 15.07.2019 को पारित आदेश की प्रति के साथ वाहन विमुक्ति हेतु बंध पत्र, शपथ पत्र तथा दो प्रतिभूति क्रमशः (1) नन्द किशोर, पिता-राम नारायण भंडारी, ग्राम-बसंत, पो0-खड़का, अंचल+थाना-जाले, जिला-दरभंगा का वाहन इंजन सं0-HA10ACKHC63010 चेसिस सं0-MBLHAW012KHC27029 (मोटर साईकिल) कीमत बीमित मूल्य के अनुसार मो0-53,312/- (तिरपन हजार तीन सौ बारह) रुपये मात्र तथा (2) आश नारायण, पिता-महेन्द्र मिश्र, ग्राम+पो0-खड़का, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी का बिना नम्बर का वाहन चेसिस सं0-MD2A76AY1KRL57123 एवं इंजन सं0-PFYRKL08847 कीमत बीमित मूल्य के अनुसार मो0-47,041/- (चौहत्तर हजार एकतालिस) रुपये मात्र का दाखिल किया गया है। जब्त वाहन का बीमित मूल्य मो0-26,730/- (छब्बीस हजार सात सौ तीस) रुपये मात्र है।</p> <p>दाखिल सभी कागजात विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित तथा विभागीय अधिवक्ता द्वारा सत्यापित है, जिसे सही पाकर स्वीकृत किया जाता है।</p> <p>अतएव विपक्षी वाहन स्वामी द्वारा दाखिल कागजात तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 नं0-9312/2019 में दिनांक 15.07.2019 को पारित आदेश के आलोक में जाले थाना कांड संख्या-37/19 दिनांक 21.03.2019 में जब्त मोटर साईकिल पंजीयन सं0-BR30J-5786 को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पारित आदेश की प्रति के साथ वाहन विमुक्ति हेतु थानाध्यक्ष, जाले थाना को बंधपत्र आदि तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश की छायाप्रति के साथ अनुपालनार्थ भेजें। उन्हें निदेश दिया</p>	

जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के कंडिका (IV) में पारित आदेश के आलोक में वाहन विमुक्ति के पूर्व फोटोग्राफी एवं पंचनामा तैयार कराकर रिकार्ड के रूप में सुरक्षित रखेंगे।

आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,  
दरभंगा।

समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,  
दरभंगा।